राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
ई–बिड सूचना

क्रमांक : 19 दिनांक : 09-5-2025

आयोग कार्यालय में गोपनीय कार्य हेतु आमंत्रित विशेषज्ञों के लिए अजमेर शहर में ठहरने के लिए होटल, नाश्ता, डिनर व स्थानीय ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं उपलब्ध कराने वाली वाली केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रम/स्वायत्त संस्थान/निजी प्रतिष्ठित संस्था में कार्यानुभव प्राप्त फर्म/आपूर्तिकर्ता/होटल व्यवसायी (होटलियर)/व्यक्ति से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए योग्य, पंजीकृत, अनुभवी बिडदाताओं से ई–बिड निम्नानुसार आमंत्रित की जाती हैं। **आवेदनकर्ता को सलाह दी जाती है कि आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आकर मुख्य परीक्षा नियंत्रक एवं सचिव से दिनांक 12.05.2025 से 20.05.2025 तक प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे (राजकीय कार्य दिवसों में) तक स्कोप ऑफ वर्क को अंतिम रूप से समझकर एवं देखकर ही आवेदन करें।**

कार्य का विवरण	अजमेर शहर में ठहरने के लिए होटल, नाश्ता, डिनर व स्थानीय ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु
अनुमानित लागत	राशि रू.100.00 लाख
निविदा शुल्क	राशि रू.1500/– बजट मद 0075–00–800–52–01 में जमा कर चालान की प्रति संलग्न करावें।
निविदा प्रोसेसिंग बिड़ शुल्क	रू.1500/– बजट मद 8658–00–102–(16)–01 (सिविल विभाग) में जमा कर चालान की प्रति संलग्न करावें।
निविदा अमानत राशि (2%)	राशि 2,00,000/–रूपये मात्र बजट मद 8443–00–103–00–00 में जमा कर चालान की प्रति संलग्न करावें।
ई–निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	**21.05.2025** दोपहर 1.00 बजे तक
ई–निविदा खोलने की तिथि एवं समय	**21.05.2025 दोपहर 3.00** बजे
निविदा अपलोड/प्रकाशित किये जाने की दिनांक:	**09.05.2025 /09.05.2025**

नोट (1) ई–निविदा प्रपत्र एवं शर्तें www.eproc.rajasthan.gov.in/, www.rpsc.rajasthan.gov.in एवं http: sppp.raj.nic.in पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट से डाउनलोड किये गए ई–निविदा प्रपत्र के निविदा शुल्क का चालान संलग्न करना आवश्यक है।

(2) निविदा शुल्क/ निविदा प्रोसेसिंग शुल्क व निविदा अमानत/धरोहर राशि एक ही चालान के द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र क.प 6(5) वित्त (सा.वि.ले.नि.) 2018 जयपुर दिनांक 27.04.2020 वर्णितानुसार सम्बन्धित बजट मद में ई–ग्रास के माध्यम से जमा करायी जाकर चालान की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से राशि स्वीकार नहीं की जावेगी एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपसचिव
स्पेशल डिवीजन–प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर को भेजकर एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं पचास हजार प्रतियाँ और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय हिन्दी मुख्य दैनिक समाचार पत्र तथा एक अखिल भारतीय स्तरीय व्यापक प्रचार प्रसार वाले हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने हेतु।
2. नोटिस बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. अनुभाग राज.लोक सेवा आयोग, अजमेर उक्त निविदा सूचना को e-proc. Portal, SPPP एवं आयोग की वेबसाईट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।

उपसचिव
स्पेशल डिवीजन–प्रथम

on leave

D.S. Spl-1 | DS-Spl. | F.A. | J.S. | CCE | Secretary

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

बोली आंमत्रण क्रमांक दिनांक

(A) राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में आमंत्रित विशेषज्ञों के लिए अजमेर शहर में ठहरने के लिए होटल, ब्रेकफास्ट, डिनर एवं स्थानीय ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु ई–बिड आमंत्रित की जाती है, जिसमें वित्तीय व तकनीकी बिड पृथक–पृथक हैं। दरें BOQ में प्रस्तुत की जानी हैं।

1. ई–निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म /व्यक्ति का नाम व पता ————————————————

   ....

   दूरभाष नम्बर ——————————————————फेक्स ————————————————

   ई–मेल——————————————

2. जिसको सम्बोधित किया गया – सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. सन्दर्भ – ई–निविदा सूचना सं. .... दिनांक ....(समाचार पत्र का नाम)....................दिनांक. ....में प्रकाशित हुई।
4. बिड शुल्क की राशि रू. 1500/– चालान संख्या ...... दिनांक ...., अमानत राशि रू. 2,00,000/– चालान संख्या ....दिनांक ....के द्वारा जमा करा दी गयी है।
5. प्रोसेसिंग फीस राशि रूपयें 1500/– चालान संख्या ....दिनांक .... के द्वारा जमा करा दी गयी है।
6. ई–ग्रास द्वारा चालान बनाये जाने हेतु विस्तृत प्रक्रिया :–
   - अमानत राशि, ई–निविदा की अनुमानित राशि की 02 प्रतिशत होगी, जो कि वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.6(5)वित्त/ साविलेनि/2018/जयपुर दिनांक 27.04.2020 व दिनांक 09.07.2020 के अनुसरण में ऑनलाईन ई–ग्रास पद्धति से जमा करायी जायेगी तथा इसके अतिरिक्त बोली दस्तावेज मूल्य एवं RISL का प्रोसेसिंग शुल्क भी ऑनलाईन ई–ग्रास पद्धति से देय होगा। जिसकी ई–भुगतान रसीद/ ई–ग्रास चालान से राशि जमा की प्रति ऑनलाईन ई–निविदा भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
   - लोक उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित करने के उद्देश्य से ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ई–निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही चालान से ऑनलाईन ई–ग्रास पद्धति के माध्यम से बिड सिक्योरिटी (अमानत राशि) बजट मद 8443–00–103–00–00 में, बोली दस्तावेज मूल्य (निविदा शुल्क) बजट मद 0075–00–800–(52)–{01} में एवं ई–प्रोसेसिंग शुल्क (RISL) बजट मद 8658–00–102–(16)–{01}के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के नाम से जमा की जायेगी।
   - बिडर का ई–ग्रास पर लॉगिन पहले से नहीं बना हो तो सर्वप्रथम बिडर को ई–ग्रास पोर्टल पर New User Sign Up से लॉगिन फॉर्म भरना है।
   - Login ID Password प्राप्त करने के पश्चात ई–ग्रास पोर्टल पर Sign In करें।
   - चालान जमा करवाने हेतु Service Challan का ऑप्शन चयन करें।
   - ऑफिस Rajasthan Public Service Commission का चयन करें।
   - चालान फॉर्म में Period के Option में onetime option का चयन करें।
   - Payment Mode में ऑनलाईन एंव ऑफलाईन दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। ऑनलाईन मोड चयन करने पर संबंधित बैंक की वेबसाईट पर रीडायरेक्ट कर दिया जायेगा। ऑफलाईन भुगतान करने की स्थिति में जिस बैंक का विकल्प चुना है उसकी संबंधित बैंक में चालान /कैश जमा कराना होगा। विस्तृत प्रक्रिया ई–ग्रास पोर्टल (egras.rajasthan.gov.in) पर User Mannual में उपलब्ध है। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए ई–ग्रास हेल्प डेस्क नंबर 0141–2744294 पर सम्पर्क किया जा सकता है। वर्तमान में चालान द्वारा ही भुगतान किया जाना है।

D.S. Spl-1 DS-Spl. F.A. J.S. CCE Secretary

7. हम बोली आमंत्रण संख्या................दिनांक................में वर्णित सभी शर्तों से तथा विभागीय शर्तों एवं निर्देशों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार किये जाने के प्रमाण –स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं।
8. हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा ई–बिड सूचना में अंकित आमंत्रित विशेषज्ञों के लिए अजमेर शहर में ठहरने के लिए होटल, ब्रेकफास्ट, डिनर, स्थानीय ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं उपलब्ध करा दी जावेंगी।
9. हम RTPP अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधानों को स्वीकार करते हैं।
10. हम सम्पुष्टि करते हैं कि वित्तीय प्रपत्र (BOQ) में अंकित की गई दरें विस्तृत ई–बोली की समस्त शर्तों के अनुरूप हैं। हमने निविदा की सभी शर्तों को समझ लिया है।
11. हम सम्पुष्टि करते हैं कि वित्तीय निविदा स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेंगे जिसके अभाव में निविदा निरस्त योग्य है।

(B) आयोग द्वारा आमंत्रित ई–बिड में अंकित कार्य का विस्तृत विवरण (Scope Of Work) व शर्तें निम्नानुसार हैं :–

(i) विशेषज्ञों के ठहराव हेतु अजमेर शहर में होटल्सः

अजमेर शहर में सुरक्षित एवं निर्धारित मापदण्ड पूरा करने वाले होटल्स में डबल बैड ए.सी. रूम मय अटैच्ड लैटबाथ साथ में प्रातः चाय, नाश्ता एवं रात्रि भोज शामिल होगा। होटल में न्यूनतम 25 ए.सी. रूम होने चाहिए एवं होटल राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर कैम्पस से 10 कि.मी. से अधिक दूर नहीं हो। हालांकि आयोग 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित होटल पर भी विचार कर सकता है। होटल के कमरे का किराया वास्तविक उपयोग अवधि के अनुसार प्रति विशेषज्ञ के अनुरूप दिया जायेगा। यह किराया किसी भी स्थिति में अनुमोदित दरों से अधिक नही होगा। आयोग द्वारा आमंत्रित विशेषज्ञों की संख्या प्रतिदिन 10–15 से लेकर 100–125 तक हो सकती हैं। दिवस/ठहराव समय का निर्धारण ठहरने के लिए आगमन समय से लेकर प्रस्थान समय के अंकन के अनुसार होगा। विशेषज्ञों के आगमन की सूचना सात दिवस से 24 घंटे पूर्व तक और प्रस्थान की सूचना दो दिन पूर्व से 24 घंटे पूर्व तक आयोग के अधिकृत समन्वयक/अधिकारी द्वारा दी जायेगी। आयोग द्वारा विशेषज्ञों को ठहराने के लिए होटल में केवल कोड नम्बर दिया। कोड का आवंटन आयोग द्वारा अधिकृत समन्वयक/अधिकारी द्वारा दिया जायेगा। कोड नम्बर की जानकारी एक या दो दिवस पूर्व आयोग द्वारा संबंधित होटल एवं विशेषज्ञ दोनों को दी जाएगी।

(ii) ट्रांसपोर्टेशन :

विशेषज्ञ को होटल से आयोग परिसर में प्रातः 9.00 बजे पहुंचाना तथा शाम 6.00 बजे आयोग परिसर से होटल तक पहुंचाना। ट्रांसपोर्टेशन में उपयोग किया जाने वाला वाहन वाणिज्यिक श्रेणी में रजिस्टर्ड, वातानुकूलित सुरक्षित, अच्छी दशा में एवं फिटनेस प्रमाण पत्र एवं कुशल ड्राईवर के साथ हो। ट्रांसपोर्टेशन का भुगतान प्रति विशेषज्ञ वास्तविक उपयोग दिवस हेतु अनुमोदित दर के अनुसार ही किया जायेगा।

(C) आवश्यक नियम व शर्तें :

1. निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. बिड में अंकित कार्य से संबंधित सफल निविदादाता को गोपनीयता बनाये रखनी होगी। यदि फर्म के कार्मिकों द्वारा ऐसा नही किया जाता है/गोपनीयता भंग की जाती है तो आयोग आवश्यक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
3. बिड प्रक्रिया/निर्णय के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथम अपील संयुक्त सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, जयपुर एवं द्वितीय अपील सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को की जा सकेगी।
4. यह द्वि–प्रक्रमी बोली है जिसमें तकनीकी बिड व वित्तीय बिड पृथक–पृथक प्रपत्रों में प्रस्तुत की जानी है।
5. समस्त प्रमाण–पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण –पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित व सत्यापित होना चाहिए।
6. निविदा की वैधता तकनीकी बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधिमान्य होगी।

D.S. Spl-1 | DS-Spl. | F.A. | J.S. | CCE | Secretary

7. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।
8. निविदा प्रपत्र में अंकित शर्तों के अतिरिक्त, निविदादाता द्वारा प्रस्तुत कोई अन्य शर्त मान्य नहीं होगी।
9. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय उपापन समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।
10. विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार/निरस्त कर सकेगे।
11. सफल निविदादाता की दरें अनुमोदित होने के बाद निर्धारित प्रारूप में 7 दिवस के भीतर रूपये 500/- के स्टाम्प पेपर पर स्वयं के खर्चे पर अनुंबध करना होगा जिसकी मूल कॉपी आयोग को निःशुल्क उपलब्ध करवानी होगी।
12. यदि अनुमोदित निविदादाता अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करने में असफल रहा तो अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
13. संवेदक द्वारा समय पर कार्य नहीं करने की स्थिति में विभाग को अन्य किसी भी संस्था/संवेदक की जोखिम पर कार्य करवाने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लागू नियमों एवं वित्त विभाग (जी.एण्ड.टी.) के परिपत्र दिनांक 30. 04.2018 की पालना करनी होगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वंय संवेदक की होगी।
15. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर या ठेकेदार) द्वारा अजमेर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।
16. बिल व बिल के साथ समस्त संलग्नकों पर अनुबंधित फर्म के अधिकृत व्यक्ति के ही हस्ताक्षर मय नाम व मोहर अंकित होना अनिवार्य है।
17. अनुबन्धित फर्म द्वारा बिल एवं कार्य विवरण का प्रमाणीकरण संबंधित प्रभारी/अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
18. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबध/सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामूहिक दुर्धटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
19. उक्त ठेके के अनुबन्ध में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ तो सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर का निर्णय अन्तिम बाध्यकारी होगा।

20. संवेदक अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या भाड़े (**Sub-let**) पर नहीं देगा।
21. करार व कार्य संपादन प्रतिभूति **(Agreement and Performance Security)**

(i) सफल बिडदाता को कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जो कार्यादेश राशि का 5 प्रतिशत होगी, अनुबन्ध के साथ बैंक ड्राफ्ट, राष्ट्रीय बचत पत्र,अनुसूचित बैंक की बैंक गारन्टी अथवा एफ.डी. के रूप में जमा करवानी होगी, जो कि बिना ब्याज के अनुबंध समाप्ति पर लौटायी जायेगी। **(उक्त प्रतिभूति अजमेर में स्थित बैंक/पोस्ट ऑफिस में देय होनी चाहिये। यदि अजमेर से बाहर की प्रतिभूति होती है तो उसका सत्यापन संबंधित बैंक से कराना होगा, जिसका यात्रा व्यय संबंधित समस्त व्यय अनुबन्धित फर्म को वहन करना होगा)**

(ii) सफल बिडदाता की दर स्वीकृति की दिनांक से 7 दिवस के भीतर 500/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में निर्धारित एस.आर.प्रारूप-17 में करार पत्र स्वंय के खर्च पर निष्पादित करना होगा। जिसकी मूल स्टाम्प शुदा प्रति निःशुल्क विभाग को उपलब्ध करवानी होगी।

D.S. Spl-1 | DS-Spl. | F.A. | J.S. | CCE | Secretary

(iii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिन के भीतर जमा कराई जाएगी।

22. बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामले में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :–

(क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद, किन्तु बोली का स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।

(ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।

(ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(घ) यदि बोली लगाने वाले "अधिनियम" और इन "नियम" के अध्याय 06 में विनिर्विष्ट बोली लगाने वालो के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

23. फर्म/होटलियर/व्यक्ति द्वारा ई–बिड मय समस्त वांछित प्रपत्रों/संलग्नकों के, बिड प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक E-Proc की वेबसाईट पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त ई–बिड पर विचार नहीं किया जाएगा।

24. आयोग को किसी ई–बिड को पूर्ण अथवा भाग को, अस्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत/निरस्त ई–बिड के संबंधित फर्म/होटलियर/व्यक्ति से कोई पत्राचार/विचार विमर्श नहीं किया जायेगा।

25. फर्म/होटलियर/व्यक्ति द्वारा ई–बिड के साथ ई–बिड शुल्क एवं अमानत राशि विहित रूप से जमा कराना अनिवार्य है जिसके बिना ई–बिड निरस्त समझी जायेगी। शुल्क एवं अमानत राशि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के नाम होगा।

26. आयोग द्वारा न्यूनतम दर को स्वीकार करना बाध्यकारी नहीं होगा।

27. बिड प्रपत्र में बतायी गयी शर्तों के अतिरिक्त बोलीदाता की कोई भी अन्य शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।

28. फर्म/होटलियर/व्यक्ति के जो कार्मिक आयोग परिसर में कार्यरत रहेंगे वे अनुभवी, कुशल एवं व्यावहारिक हो साथ में उनका चरित्र सत्यापन आवश्यक है। आयोग परिसर में होने वाले गोपनीय कार्य अथवा विशेषज्ञों की गोपनीयता, फर्म/होटलियर/व्यक्ति अथवा उनके कार्मिकों द्वारा भंग नहीं की जायेगी। यदि गोपनीयता भंग की जाती है तो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 की धारा 5 एवं 10 के तहत एवं प्रचलित कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अथवा आयोजित हो चुकी परीक्षा में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को आयोग के उक्त कार्य में सम्मिलित नहीं करें। फर्म के कार्मिक परिचय पत्र के साथ आयोग परिसर में रहेंगे।

29. फर्म के कार्मिक जो भी आयोग परिसर में रहेंगे उनके नाम, मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड, पता इत्यादि की सूचना उपलब्ध करवानी होगी।

30. बोलीदाताओं को किसी भी संस्था द्वारा पूर्व में डिबार/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो।

31. विशेषज्ञों के उपयोग में लिए जाने वाले होटल्स सुरक्षा के मानकों को पूर्ण करने वाले होने चाहिए। विशेषज्ञों को ठहराव के लिए उपलब्ध करवाए जाने वाले कमरे साफ–सुथरे, वातानुकूलित, सुरक्षित एवं आरामदायक होने चाहिए तथा बहुमंजिला होटल्स में लिफ्ट की सुविधा आवश्यक। होटल में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली की सुनिश्चितता आवश्यक है।

32. होटल में पार्किंग की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

33. होटल घने आबादी क्षेत्र में नहीं हो। आपातकालीन स्थिति में बड़े अग्निशमन वाहन व अन्य वाहनों की पहुंच सुगम हो।

34. होटल में समुचित वेटिंलेशन आवश्यक है।

35. होटल में निर्धारित मानकों के अनुसार सुरक्षित आगम (entry) एवं निर्गम (exit) की व्यवस्था हो।

36. होटल में सुरक्षा एवं बचाव की पूर्ण व्यवस्था आवश्यक।

37. होटल्स में उपलब्ध करवाये जाने वाले पेय एवं खाद्य पदार्थ ताजा, सुरक्षित एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो और मिलावटी नहीं हो। इसमें किसी प्रकार की कोताही पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिन होटल्स में विशेषज्ञ को ठहराया जायेगा वे होटल्स रजिस्टर्ड एवं मान्य हो तथा सुरक्षा के मानक पूरे करते हो अन्यथा भोजन की विषाक्तता (food poisoning) जैसे कारण से किसी विशेषज्ञ की जान जोखिम में पड़ने पर फर्म/होटलियर के विरूद्ध विधि अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। ऐसे किसी होटल का उपयोग नहीं करें जो नियम विरूद्ध संचालित हो और जिसे राज्य के किसी विभाग अथवा एजेंसी ने सीज किया हो।

38. विशेषज्ञों के आगमन की सूचना सप्ताह भर से 24 घंटे पूर्व तक और प्रस्थान की सूचना दो दिन पूर्व से 24 घंटे पूर्व तक आयोग के अधिकृत समन्वयक/अधिकारी द्वारा दी जायेगी।

39. होटल्स में ठहरने वाले विशेषज्ञों को केवल कोड नम्बर दिया जायेगा और इनकी पहचान फर्म अथवा होटलियर द्वारा उजागर नहीं की जायेगी। कोड नं. की जानकारी संबंधित फर्म और होटल्स को आयोग के अधिकृत समन्वयक/अधिकारी द्वारा एक/दो दिवस पूर्व में दी जायेगी।

40. होटल के कमरों का किराया उपयोग के अनुसार दिया जायेगा। किराया आगमन से प्रस्थान समय के अनुरूप होगा। होटल का बिल कोड नम्बर के अनुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

41. विशेषज्ञों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग में लिए जाने वाले वाहन सुरक्षित, वातानुकूलित अच्छी स्थिति में, वाणिज्यिक, रजिस्ट्रेशन पूर्ण, फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ हो और वाहन चालक कुशल, व्यावहारिक एवं ड्राईविंग लाईसेंसधारी हो।

42. उपयोग में लिए जाने वाले वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं ड्राईवर का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, पता एवं लाईसेंस की फोटो प्रति आयोग कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।

D. पेनल्टी प्रावधान :

1. ई–बिड की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करने पर अनुबंध अनुसार संबंधित फर्म की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए कार्यादेश निरस्त किया जायेगा।
2. फर्म/होटलियर/व्यक्ति अथवा उनके कार्मिकों द्वारा किसी अतिथि की पहचान उजागर करने अथवा गोपनीयता भंग करने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 की धारा 5 एवं 10 के तहत एवं प्रचलित कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी और फर्म/होटलियर/व्यक्ति को ब्लैक लिस्टेड किया जायेगा।
3. पेनल्टी एवं कार्यवाही का अधिकार आयोग कार्यालय के सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर का रहेगा और सचिव का निर्णय फर्म/होटलियर/व्यक्ति को मान्य होगा।
4. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला अजमेर रहेगा।
5. यदि सफल बोलीदाता स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार व्यवस्था करने असफल होता है या काम बीच में छोड़ देता है, तो आयोग द्वारा स्वयं के स्तर पर व्यवस्था की जायेगी तथा इस प्रकार की आयोग द्वारा की गई व्यवस्था का भुगतान सफल बोलीदाता के बिल अथवा प्रतिभूति राशि में से कटौती कर किया जायेगा।

E. अनुभव व टर्नओवर :

1. ई–बिड अनुसार किसी केन्द्रीय/राजकीय विभाग/उपक्रम/ बोर्ड/निजी प्रतिष्ठित संस्था/स्वायत्त संस्था इत्यादि का अनुभव पूर्ण विवरण के साथ ई–प्रोक्क पर अपलोड करें।(वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 व 2024–25)
2. टर्नओवर :– फर्म के पास विगत 03 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 व 2024–25) का औसत वार्षिक टर्नओवर राशि रू. 50.00 लाख हो। टर्नओवर के सत्यापन के साक्ष्य में ऑडिटेड बैलेंस शीट, आयकर विवरणिका तथा सी.ए. ऑडिटेड/सर्टिफाईड प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हैं।

F. ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का प्रमाण पत्रः

पैनलबद्ध फर्म में सम्मिलित होने के लिए डिबार/ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का शपथ–पत्र राशि रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न करना आवश्यक है।

G. भुगतान प्रक्रियाः

1. अग्रिम रूप से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। (No Payment will be made in advance.)
2. नकद भुगतान नहीं किया जायेगा।
3. कार्य शुरू होने के पश्चात् प्रत्येक 15 दिन की अवधि का भुगतान एक साथ किया जायेगा। अंतिम भुगतान कार्य समाप्ति के 15 दिन बाद किया जायेगा।

D.S. Spl-1 DS-Spl. F.A. J.S. CCE Secretary

4. नियमानुसार फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल में से आयोग द्वारा निर्धारित टी.डी.एस. व जी.एस.टी. टी. डी.एस. की कटौती करने के पश्चात् भुगतान किया जायेगा।
5. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल के साथ बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक का नाम व खाता धारक का नाम स्पष्ट अंकित करावें।

वचन पत्र/घोषणा

हमने ई–बिड की सम्पूर्ण शर्तों का अवलोकन कर लिया है। समस्त वांछित दस्तावेजों की प्रतियाँ, तकनीकी प्रपत्र, वित्तीय प्रपत्र, डिबार/ब्लैक लिस्ट नहीं होने का शपथ–पत्र, फार्म नम्बर 01, अनुलग्नक A,B,C,D, गोपनीयता भंग नहीं करने संबंधी शपथ–पत्र आदि ई–प्रोक पर अपलोड कर दिये गये हैं।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर
नामः
पता मय मोहर

D.S. Spl-1 DS-Spl. F.A. J.S. CCE Secretary

संलग्नक : I

तकनीकी प्रपत्र

विवरण (चैक लिस्ट)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष	पृष्ठ संख्या
1.	फर्म/कम्पनी/एजेन्सी का नाम		
2.	अधिकृत व्यक्ति का नाम		
3.	फर्म/कम्पनी/एजेन्सी के पत्र व्यवहार का पता		
4.	मोबाइल नम्बर/टेलीफोन नम्बर		
5.	फैक्स व ई–मेल		
6.	पेन संख्या		
7.	जी.एस.टी. (G.S.T.) पंजीकरण संख्या		
8.	बैंक का नाम, ब्रांच, आई.एफ.एस.सी. व खाता संख्या		
9.	वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 व 2024–25 (03 वर्ष) का औसत वार्षिक टर्नओवर राशि रू. 50.00 लाख होना चाहिए (ऑडिटेड बैलेंस शीट, आयकर विवरणिका का सी.ए. द्वारा सत्यापित प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है)		
10.	केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रम/स्वायत्त संस्थान/निजी/प्रतिष्ठित संस्था के 03 (वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 व 2024–25) वर्ष के कार्यानुभव की प्रतियाँ ई–प्रोक पर अपलोड करावें।		
11.	संलग्नक I से IV निविदा के साथ संलग्न होना अनिवार्य है		
12.	अनुलग्नक A,B,C, व D तथा फार्म संख्या 01 संलग्न करना हैं।		
13.	ब्लैक लिस्ट/डिबार नहीं होने संबंधी शपथ–पत्र संलग्न है।		
14.	आयोग की गोपनीयता भंग नहीं करने संबंधी शपथ–पत्र संलग्न है।		
15.	बिड शुल्क राशि रू. 1500/– का ई–ग्रास चालान संलग्न है।		
16.	RISL शुल्क राशि रू. 1500/– का ई–ग्रास चालान संलग्न है।		
17.	अमानत राशि (02 प्रतिशत) का ई–ग्रास चालान संलग्न है।		

नोट :– वांछित दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।

आयोग द्वारा आमंत्रित ई–बिड के समस्त दस्तावेजों का पूर्ण अध्ययन कर लिया है। ई–बिड की शर्तों के अनुसार ही कार्य किया जावेगा। समस्त दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न कर दी गई हैं।

फर्म का नाम :–
पता :– (मय मोहर)
दिनांक :

D.S. Spl-1 DS-Spl. F.A. J.S. CCE Secretary

संलग्नक : II

वित्तीय प्रपत्र

Tender Inviting Authority: Secretary Rajasthan Public Service Commission, Ajmer

Name of Work: To provide accommodation, breakfast, dinner and local conveyance to RPSC experts.
Contract No: < Enter the Contract No >

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company :

PRICE SCHEDULE (DOMESTIC TENDERS - RATES ARE TO GIVEN IN RUPEES (INR) ONLY) (This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)							
NUMBER #	TEXT #	TEXT #	NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Item Description	Item Code / Make	Quantity	Units	BASIC RATE Per Expert Include all taxes In Figures To be entered by the Bidder in Rs. P	TOTAL AMOUNT With Taxes in Rs. P	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	7	14	15
1	Work						
1.01	To provide accommodation, breakfast, dinner and local conveyance to RPSC experts	item1	1.00	Nos		0.00	INR Zero Only
Total in Figures						0.00	INR Zero Only
Quoted Rate in Words		INR Zero Only					

नोटः होटल के कमरे का किराया वास्तविक उपयोग अवधि के अनुसार प्रति विशेषज्ञ के अनुरूप दिया जायेगा। आयोग द्वारा आमंत्रित विशेषज्ञों की संख्या प्रतिदिन 10–15 से लेकर 100–125 तक हो सकती हैं। दिवस/ठहराव समय का निर्धारण विशेषज्ञ के आगमन समय से लेकर प्रस्थान समय के अंकन के अनुसार होगा। आयोग द्वारा विशेषज्ञों को ठहराने के लिए होटल में केवल कोड दिया जायेगा। कोड का आवंटन आयोग द्वारा अधिकृत समन्वयक/अधिकारी द्वारा दिया जायेगा। कोड नम्बर की जानकारी एक या दो दिवस पूर्व में आयोग द्वारा संबंधित होटल एवं विशेषज्ञ दोनों को दी जाएगी।
नोट :– दरें ऑन–लाईन BOQ में ही प्रस्तुत की जावें।

उपरोक्त ई–बिड के वित्तीय प्रपत्र की शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है। उक्तानुसार ही दरें अंकित की गई हैं।

फर्म का नाम :–
पता :– (मय मोहर)
दिनांक :

D.S. Spl-1   DS-Spl.   F.A   J.S.   CCE   Secretary

संलग्नकः III

शपथ पत्र

बिड क्रमांक : दिनांक :

शपथ–पत्र (कम्पनी / फर्म / एजेन्सी के द्वारा 100 / –रू0 के स्टाम्प पेपर पर)

मैसर्स (कम्पनी / फर्म / एजेन्सी का नाम एवं पता)..

....शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता / करती

हूँ कि :–

1. बिड क्रमांक..जो कि मेरे द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, आयोग कार्यालय में गोपनीय कार्य हेतु आमंत्रित विशेषज्ञों के लिए अजमेर शहर में ठहरने के लिए होटल, नाश्ता, डिनर व स्थानीय ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित है, मेरे / हमारे द्वारा दी गयी समस्त जानकारियाँ / दस्तावेज पूर्णतया सही है तथा गलत पाये जाने पर इसकी जिम्मेदारी मेरी / हमारी रहेगी।
2. मेरे / हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी / हमारी कम्पनी / फर्म / एजेन्सी केन्द्र / राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग / उपक्रम द्वारा Debar/Black Listed नहीं की गयी है।

हस्ताक्षर :................................

नाम : ....

पद : ....

कम्पनी / फर्म / एजेन्सी का नाम :

....

कम्पनी / फर्म / एजेन्सी का पूर्ण पता :

....

D.S. Spl-1 DS-Spl. F.A. J.S. CCE Secretary

संलग्नक– IV

शपथ–पत्र

मैं, ... पुत्रा श्री .... निवासी .... स्वामी मैसर्स ....शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि :–

1. आयोग द्वारा आमंत्रित ई–निविदा ....में. मैंने भाग लिया है तथा मैं ई–निविदा में वर्णित कार्य की गोपनीयता संबंधी शर्तों को स्वीकार करता हूँ।
2. कार्य के दौरान फर्म के प्रतिनिधियों/कार्मिकों द्वारा आयोग की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी और फर्म के कार्मिकों/प्रतिनिधियों द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व फर्म का ही रहेगा।
3. फर्म अथवा फर्म के किसी कार्मिक के द्वारा किसी भी तरह आयोग के कार्य की गोपनीयता कार्य के दौरान अथवा कार्य समाप्ति पश्चात भंग की जाती है और आयोग (RPSC) को इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत मिलती है अथवा आयोग के संज्ञान में आने पर आयोग द्वारा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 की धारा 5,10 एवं अन्य प्रभावी कानून के तहत कार्यवाही की जायेगी।
4. ई–निविदा में वर्णित कार्य के फलस्वरूप राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त सम्पूर्ण राशि पर केन्द्र/राज्य सरकार को शासकीय नियमानुसार देय समस्त कर जैसे जीएसटी, टीडीएस इत्यादि का पूर्ण रूप से समय पर भुगतान करूंगा । इसमें किसी भी प्रकार की चूक के लिये मैं स्वयं पूर्ण उत्तरदायी होऊँगा ।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

D.S. Spl-1 DS-Spl. F.A. J.S. CCE Secretary

Annexure A

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) not indulge in any coercion including impairing and harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest, if any; and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one id; or the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in –charge / consultant for the contract.

D.S. Spl-1 DS-Spl. F.A. J.S. CCE Secretary

Annexure B

Declaration by the Bidder regarding qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/ our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No................................ Dated.........................I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act. Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

D.S. Spl-1 DS-Spl. F.A. J.S. CCE Secretary

Annexure C

Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **Joint Secretary, DOP(A-2) Jaipur**
The designation and address of the Second Appellate Authority is **Secretary, DOP, Govt. Secretariat, Jaipur**

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specified ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;

(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;

(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or throughregistered post or authorized representative.

(6) Fee for filling appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non- refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

D.S. Spl-1 | DS-Spl. | F.A. | J.S. | CCE | Secretary

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

a. hear all the parties to appeal present before him; and

b. peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

c. After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(i) The order passed under sub- clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

D.S. Spl-1 DS-Spl. F.A. J.S. CCE Secretary

Annexure D

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- **i.** if there is a discrepancy between the unit price and the total price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quaintly, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected ;
- **ii.** if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- **iii.** if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (1) and (2) above.

if the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document . It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- ii. if the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- iii. In case of procurement of good of services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditional of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Good of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so. the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

D.S. Spl-1 DS-Spl. F.A. J.S. CCE Secretary

FORM NO. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012

Appeal No……… of …………
Before the ………………………………………..(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Applicant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
   ………
   ………
   …………………………………………………………………………………………………..(Supported by an affidavit)
7. Prayer:
   ………
   ………
   …………………..

Place ………………………………..
Date ………………………………..
Appellant's signature

D.S. Spl-1 DS-Spl. F.A. J.S. CCE Secretary